FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा

नन्दराम पुत्र रामेश्वर जाट निवासी पीपली पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा – प्रार्थी	बनाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस.डी.ओ. भीलवाडा –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 38 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.09.2020	प्रार्थी श्री नंदराम जाट पुत्र रामेश्वर जाट निवासी हाल पीपली पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रारूप 01 में मय दस्तावेज इत्यादि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किन्तु आज दिनांक तक ग्राम पंचायत पीपली की मतदाता सूची में उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा नाम नही जोडा गया हैं। अतः ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस.डी.ओ. भीलवाडा से रिपोर्ट तलब की गयी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस.डी.ओ. भीलवाडा द्वारा अपने पत्रांक/1226 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में बाद जांच विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि – प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्ररूप 01 में मय दस्तावेज स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र श्री रोशन कुमार पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी गाडरियों का मोहल्ला निवासी गांव पीपली, शपथ पत्र श्री रामेश्वर पुत्र बक्षू गाडरी निवासी गांव पीपली, शपथ पत्र श्री नारायण माली पुत्र तुलछा माली निवासी गांव पीपली एवं शपथ पत्र श्री हीरालाल पुत्र कन्हैयालाल माली निवासी गांव पीपली का दिनांक 24.09.2020 को तैयार करा नोटरीशुदा प्रमाणित सुदा हैं। उक्तानुसार प्रस्तुत शपथ पत्रों से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रार्थी नंदराम पुत्र रामेश्वर जाट द्वारा ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की पंचायत मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात दिनांक 24.09.2020 को तैयार कराया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी.ओ. भीलवाडा की रिपोर्ट कमांक/1226 दिनांक 25.09.2020 अनुसार आवेदनकर्ता/प्रार्थी श्री नंदराम पुत्र रामेश्वर जाट द्वारा ग्राम पीपली के वार्ड संख्या 05 की पंचायत मतदाता सूची में नाम	

अनुसार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही नियम 23 या 58 के अंतर्गत लोक नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती हैं। वर्तमान में पंचायती राज चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 16.09.2020 को ग्राम पंचायत पीपली के सरपंच एवं वार्डपंच पदों के लिये निर्वाचन हेतु लोक सूचना जारी की जा चूकी हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पीपली के वार्ड संख्या 5 की पंचायत मतदाता सूची मे नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निर्धारित प्ररूप 01 में आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एस.डी.ओ. भीलवाडा के कार्यालय में निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया जाना पाया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में पंचायती राज चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 16.09.2020 को ग्राम पंचायत पीपली के सरपंच एवं वार्डपंच पदों के लिये निर्वाचन हेतु लोक सूचना जारी की जा चुकी है। जिससे वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम नियम 21–क के अनुसार निर्वाचन हेतु लोक नोटिस जारी होने के पश्चात् नियम 20 एवं 21 के अधीन निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने एवं किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, अंतरण एवं विलोपन के लिये कोई निर्देश नही दिया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा